II

दिनांक	प्राधिकरण की बैठक की दिनांक	पृष्ठ सं० से तक
	4-6-86	03 से 81
	25-9-86	83 से 125
	4-12-86	127 से 157
	16-02-87	159 से 189
	30-3-87	191 से 203
	19-5-87	205 से 231
	29-7-87	233 से 259
	26-9-87	261 से 283
	05-12-87	285 से 313
	20-02-88	315 से 339

(1)

प्रमाणित किया जाता है कि इस रजिस्टर पर क्रमांक 1 से 354 तक पृष्ठ हैं।

सचिव
म० दे० हि० ग्रा०
[illegible]

(2)

अध्यक्ष,

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।
====================

विकास प्राधिकरण की दिनांक 4-6-86 को हुई बैठक की कार्यवाही का आलेख तैयार कर दिया गया है जिस पर उपाध्यक्ष प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं आलेख सामने की ओर आपके अवलोकनार्थ व हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है । यदि स्वीकार हो तो कृपया हस्ताक्षर करने की कृपा करें ।

Vinay 19.6.86.
सचिव,

19/6/86
आयुक्त/अध्यक्ष

Recd on 21-6-86 through the peon of Commn. office
21-6-86
H.C.

दिनांक 4-6-86 को मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित अधिकारियों/सदस्यों की उपस्थिति:

= =

1- श्री देवी दयाल- अध्यक्ष

2- श्री अशोक खुराना- उपाध्यक्ष

3- रामबाबू विशेष सचिव उ० प्र० शासन आवास एवं नगर विकास विभाग

4- D.N. [illegible]

5- श्री आर० रतूड़ी उप वन संरक्षक मसूरी देहरादून [illegible]

6- श्रीमती सीता विशाल, प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र

7- के. एल. साह, सहायक निदेशक उद्यान गढ़वाल मण्डल मसूरी प्रतिनिधि निदेशक उद्यान उ.प्र. 4/6/86

8- यू.डी. चौबे प्रभारी अधिकारी नगर पालिका देहरादून- विशेष आमंत्रित

9- Vinod Sharma, SDM, Mussoorie, Spl. Invitee 4/6/86

10- एम.जी. उनियाल, संयुक्त निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन [illegible]

11- आई० पी० सिंह, संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदे० [illegible] 4/6/86

12- गिरीश चन्द्र गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता, सा. नि. वि. देहरादून (प्रतिनिधि प्रमुख अभियन्ता उ.प्र. सा. नि. वि. लखनऊ) 4/6/86

13- हरे कृष्ण शर्मा. वरिष्ठ नियोजक. नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग

14-

15-

16-

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की दिनांक 4-6-86 को प्रात: 10-3
बजे प्राधिकरण कार्यालय कक्ष मे हुई बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति:-

1- श्री देवीदयाल, आयुक्त गढवाल मंडल	अध्यक्ष
2- श्री अशोक खुराना, जिलाधिकारी	उपाध्यक्ष
3- श्री रामबाबू, विशेष सचिव, नगर विकास	प्रतिनिधि सदस्य
4- श्री एच0के0शर्मा, वरिष्ट नियोजक	,,
5- श्री आई0पी0सिंह, सहयुक्त निदेशक पर्यावरण	,,
6- श्री गिरीश चन्द्र गर्ग, अधिशासी अभियन्ता ला0नि0वि0	,,
7- श्रीमति रीता विशाल, प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र	,,
8- श्री डी0एन0धावन	सदस्य
9- श्री के0एन0शाह, निदेशक पर्यटन	प्रतिनिधि सदस्य
10-श्री डी0आर0रतूडी, उप वन संरक्षक	,,

विशेष आमंत्रित

1- श्री एस0पी0उनियाल, सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा रोपण
2- श्री विनोद शर्मा, परगना मैजिस्ट्रेट मसूरी
3- श्री यू0डी0चौबे, प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका, देहरादून ।
4- श्री जे0सी0गुप्ता, सहयुक्त नियोजक
5- श्री हीरासिंह विष्ट, नगर विधायक
6- श्री निर्मल कुमार जैन, निदेशक दून वैली बोर्ड

बैठक की विधिवत कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व प्राधिकरण के सदस्य श्री द्वारिकानाथ धावन एवं नगर विधायक श्री हीरासिंह बिष्ट ने कुछ बातें प्राधिकरण के समक्ष सुझाव के रूप मे रक्खी। उनके कथन का मुख्य सार यह था कि प्राधिकरण जनहित मे कुछ व्यवहारिक दृष्टि कोण अपनाते हुये मानचित्रों को स्वीकृत करने हेतु नीति निर्धारित करें। प्राधिकरण की नीति आगे के लिये इस प्रकार सुव्यवस्थित की जानी चाहिये कि उनमे किसी प्रकार के अनावश्यक विलम्ब को प्रोत्साहन न मिल पाये । दोनो ही जन प्रतिनिधियों द्वारा बैठक को बताया गया कि पिछली बैठक मे उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये थे किन्तु उनका उल्लेख बैठक की कार्यवाही मे नही आ पाया जो उचित नही है ।

अध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा इस पर नि[illegible] दिये गये कि भविष्य मे इस बात का पूर्ण ध्यान रक्खा जाय कि सद[illegible] द्वारा कही गई बात का सुस्पष्ट उल्लेख किया जाय और कोई भी क[illegible] छोडा न जाय। अध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्देश[illegible] गये कि भविष्य मे एजेन्डा अपने आप मे सुस्पष्ट, सुव्यवस्थित तथा मद[illegible]

प्रस्तुत किया जाय। एजेन्डे का इन्डेक्स सही प्रकार बनना चाहिये तथा अनुपालन आख्या मे की गई कार्यवाही का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये ताकि बैठक मे निर्णय लेने के समय कठिनाई न हो। बैठक मे जो भी निर्णय लिये जॉय व जो समितियाँ गठित की गई हो उनकी कार्यवाही त्वरित गति से समय से सम्पन्न की जाय और उनकी प्रगति आख्या का विस्तृत विवरण आगामी बैठक मे अवश्य प्रस्तुत किया जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य मे एजेन्डे के साथ गत बैठक की कार्यवाही की प्रति भी संलग्न की जाय एवं बैठक की कार्यवाही की प्रति सदस्यो को 15 दिन के अन्दर अवश्य भेज दी जाय। विशेष सचिव श्री रामबाबू ने अपेक्षा की कि प्राधिकरण की बैठक 3 माह मे एक बार अवश्य होनी चाहिये ।

अध्यक्ष विकास प्राधिकरण महादेय ने उपस्थित सदस्यो से यह भी अपेक्षा की कि भविष्य मे वे प्राधिकरण की बैठक मे आने से पूर्व अपने से संबंधित सभी विषयो पर विभाग से संबंधित पूरी जानकारी लेकर उपस्थित हो ताकि प्राधिकरण मे उठाये जाने वाले उनसे संबंधित मुद्दो पर जानकारी उपलब्ध हो सके और उन पर तत्परता से निर्णय लिया जा सके।

प्राधिकरण की गत बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुपालन मे चूना भट्टियो को प्राधिकरण की ओर से दिये गये नोटिस के विरोध मे चूना भट्टियो के मालिको एवं श्रमिको की ओर से आये जनसमूह का प्रतिनिधि मंडल बैठक की अनुमति से बैठक के समक्ष उपस्थित हुआ। अध्यक्ष प्राधिकरण ने प्रतिनिधि मंडल को अपनी समस्याए विस्तार से प्राधिकरण के समक्ष रखने की स्वीकृती दी। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यो ने बताया कि वे यहाँ पर 1952 से कार्यरत है। प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य का कहना था कि वे लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर जब यहाँ आये थे तो उन्होने अपनी सारी जमा पूँजी लगाकर ये ईकाइयाँ स्थापित की थी और उन्होन विभिन्न वित्तिय संस्थानो से ऋण प्राप्त किया हुआ है। उनका कथन था कि भारत के किसी भी स्थान पर मास्टर प्लान लागू होने के उपरान्त किसी उदयोग को हटाया नही गया है। इस प्रकार का कुठाराघात अंग्रेजी सरकार के समय भी नही हुआ है। प्रतिनिधि मंडल का कथन था कि यदि उनके उदयोगो से किसी प्रकार का प्रदूषण हो रहा है तो वे उसे वैज्ञानिक ढंग से हल करने को तैयार है। प्रतिनिधि मंडल का यह भी कथन था कि मास्टर प्लान पर आई आपत्तियो की सुनवाई के समय तत्कालीन मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक श्री दूबे ने उन्हे यह आश्वासन दिया था कि उनकी ईकाइयो को यहाँ से

हटाया नही जायेगा। प्रतिनिधि मंडल को सुनने के बाद अध्यक्ष विकास प्राधिकरण ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यो को बताया कि यह विषय एजेन्डे पर है, अतः उस पर उसी समय विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया जायेगा।

वास्तुविदो के एक ~~अन्य~~ प्रतिनिधि मंडल को भी बैठक के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी गई। वास्तुविदो के प्रतिनिधि मंडल को गंभीरता पूर्वक सुना गया। प्रतिनिधि मंडल द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया जिसकी प्रति पूर्व मे प्राधिकरण अधिकारियो को दी जा चुकी थी। वास्तुविदो ने अपनी कुछ समस्याए तथा बाईलाज के संबंध मे कुछ समस्याए प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की। उनका कथन था कि कौन्सिल आफ आर्चिटेक्ट से मान्यता प्राप्त सभी वास्तुविदो को प्राधिकरण मे वास्तुविद का लाईसेंस लेने की आवश्यकता नही है तथा उनसे कोई लाईसेंस की फीस न ली जाय। उनके द्वारा यह बताया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन्सिल आफ आर्चिटेक्ट से मान्यता प्राप्त वास्तुविदो को कही भी कार्य करने की बिना शुल्क दिये बात स्वीकार की गई है। मुख्य नगर नियोजक के प्रतिनिधि श्री शर्मा ने इस विषय मे प्राधिकरण को बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के संदर्भ मे कुछ बाईलाज तैयार किये जा रहे है जिन्हे शीघ्र ही शासन की स्वीकृती हेतु भेजा जा रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने ड्राफ्समैन के लिये भी कार्य का स्कोप बढा देने का अनुरोध किया तथा एफ०ए०आर० कम होने से उत्पन्न कठिनाई को बताया और उसे बढाने का अनुरोध किया। मानचित्रो के लिये कुछ अन्य क्षेत्रो को खोलने का भी अनुरोध मंडल द्वारा किया गया। वास्तुविदो के प्रतिनिधि मंडल को सुनने के उपरान्त तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, लाईसेंस, एफ०ए०आर० आदि के संबंध मे विचार करने हेतु एक समिति गठित की जाती है, जिसके सदस्य उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, वरिष्ट नगर नियोजक, श्री शेरसिंह अधिशासी अभियन्ता आवास विकास परिषद, श्री द्वारिकानाथ धवन भूतपूर्व विधायक सदस्य होंगे। सचिव विकास प्राधिकरण इस समिति के संयोजक होंगे। समिति आर्चिटेक्ट के प्रतिवेदन आदि पर दिनांक 30-6-86 तक अपनी रिपोर्ट देगी, जिसे अध्यक्ष प्राधिकरण को भेजा जायेगा।

दोनो प्रतिनिधि मंडलो को सुनने के उपरान्त बैठक द्वारा मदवार एजेन्डे की कार्यवाही प्रारंभ की गई ।

मद संख्या:-1 विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन आख्या

प्राधिकरण की विगत बैठक दिनांक 21-11-85 को हुई कार्यवाही पढकर सुनाई गई। विचार विमर्श के उपरान्त इसकी पुष्टि की गई ।

बैठक से संबंधित परिपालन रिपोर्ट पर मदवार विस्तृत रुप से विचार विमर्श किया गया। अध्यक्ष प्राधिकरण द्वारा बैठक के शुरु होने के समय इस संबंध मे दिये गये निर्देशो को पुन: दोहराया गया व निर्देश दिये गये कि भविष्य मे इन निर्देशो पर कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय। गत बैठक मे हुये निर्णयो के परिपालन के संबंध मे निम्न बिन्दुओ पर पुन: निर्देश दिये गये:

1- ए0आर0सी0सिमेंन्ट फैक्ट्री

गत बैठक मे बताया गया था कि उपरोक्त फैक्ट्री से 80 प्रतिशत नाईट्रोजन और 15 से 20 प्रतिशत तक कारबनडाईएक्साईड गैस निकल रहि है। इस संबंध मे यह निर्णय लिया गया था कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पर्यावरण विभाग से विस्तार से रिपोर्ट प्राप्त की जाय और यह विभाग प्रदूषण नियंत्रण की स्थिती का प्रतिमाह निरीक्षण करें। प्राधिकरण को बताया गया कि अभी तक इस संबंध मे कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हो पाई है। अध्यक्ष प्राधिकरण ने पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि से इसमे शीघ्र जाँच करने की कार्यवाही करने हेतु कहा गया।उपाध्यक्ष अपनी ओर से इस संबंध मे एक पत्र शासन को प्रेषित करे जिसमे यह अनरोध किया जाय कि इस संबंध मे शीघ्रातीशीघ्र कार्यवाही की जाय।

2- चूना भट्टियाँ

गत बैठक मे चूना भट्टियो के बारे मे इस आशय का निर्णय लिया गया था कि समस्त चूना भट्टियो को नोटिस दिया जाय कि वे दिनांक 31-5-86 तक अपनी भट्टियाँ हटा लें। निर्णय के अनुपालन मे इन सभी औदयोगिक ईकाइयो को इस आशय के नोटिस दिये गये कि वे दिनांक 31-5-86 तक इस प्रकार हस्तांतरित कर ले कि वे महायोजना के प्रतिकूल न रह जाय। बैठक को बताया गया कि चूना भट्टियो को दिये गये नोटिस के विरुद्ध लगभग 40 लोगो दवारा सिविल न्यायालय मे दावे दायर किये गये है और उनमे से कुछ मे न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिये गये है। प्राधिकरण से अनरोध किया गया कि इस विषय मे आवश्यक दिशा निर्देश दे। विषय पर विस्तृत रुप से विचार-विमर्श

किया गया। इस संबंध मे बैठक के समक्ष उपस्थित हुये प्रतिनि
द्वारा रक्खी गई समस्याओ एवं उनके कथनो पर विस्तार से
किया गया। सदस्य श्री द्वारिकानाथ धावन का इस संबंध मे यह
था कि जब उक्त क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र मानलिया गया है त
कोई व्यवहारिक निर्णय लिया जाना चाहिये। उनका कथन था
ईकाइयो मे लगभग 15000 मजदूर कार्यरत है और इनके हटाने से
बढेगी और नगर पर इसका अर्थिक प्रभाव पडेगा। उन्होने इस ब
खेद व्यक्त किया कि शासन के पर्यावरण विभाग ने अभी तक
नही दी है कि इन ईकाइयो को किस प्रकार प्रदूषण रहित बना
सकता है। और न यह ही बताया गया है कि चूना भट्टी मालि
ईकाइयो को किस स्थान पर ले जायँ। श्री धावन यह जानना चाह
यदि वे लोग अपनी ईकाइयो मे प्रदूषण नियंत्रक संयंत्र लगा लेते है
इन औद्योगिक ईकाइयो को यहाँ रहने दिया जायेगा और जब त
कोई अन्य जगह नियत नही की जाती तब तक चूना भट्टी मालि
उनके साथ लगी लेबर तथा उनके परिवारो पर नाहक अत्याचार
और यदि इन्हे अन्यत्र कही भेजा जाता है तो क्या वहाँ इन ईक
से प्रदूषण नही होगा। इन समस्याओ का समाधान किये बिन
मानवीय दृष्टि से और नगर पर पडने वाले आर्थिक प्रभाव से भ
कदम गलत और अव्यवहारिक होगा। नगर विधायक श्री हीरासिं
ने भी इस विषय पर कडा विरोध प्रकट किया और बैठक को
इस संबंध मे शासन की कमेटी द्वारा भी यह कहा गया था
प्रदूषण रहित कार्यरत ईकाइयाँ यहाँ रह सकेंगी। उनका यह भी
था कि उन्हे बताया गया था कि सहस्त्रधारा के बाई ओर आ
भूखान्ड रहेंगे और दाई ओर यह औद्योगिक ईकाइयाँ। जिलाधि
उपाध्यक्ष द्वारा यह बताया गया कि इस संबंध मे 17-4-86 को
बैठक की गई थी, जिसमे चूना भट्टा मालिको के विचार सुने गये
बैठक मे मुख्य बात यह आई थी कि इन ईकाइयो मे प्रदूषण की
400 मि0ग्राम से 800 मि0ग्राम तक पाई गई है। जबकि 100 मि0ग्
का प्रदूषण ही केवल अनमन्य है। उन्होने बताया कि रुडकी अनुसंध
केन्द्र से इसमे कुछ सुझाव प्राप्त हये है जिसमे वर्टिकल साफट टैक्नोलो
जिकर किया गया है। यदि इस टैक्नोलाजी का प्रयोग किया जाता
प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सकता है और इसे प्रदूषण
स्तर तक लाया जा सकता है। विधायक श्री बिष्ट का कथन था
जब तक सरकार का कोई निर्णय प्राप्त नही हो जाता तब तक इन

यही बनाया रक्खा जाय। नगर नियोजन विभाग के प्रतिनिधी का कथन था कि यदि संबंधित तकनीकी अपनाकर प्रदूषण नियंत्रण की श्रेणी मे ये ईकाइयाँ आ जाती है तो क्या भारत सरकार का पर्यावरण विभाग उन्हे यहाँ कार्यरत रहने की अनुमति प्रदान कर देगा। उनका मत था कि इस संबंध मे सुस्पष्ट हो जाने के पश्चात ही भू-उपयोग परिवर्तन आदि की कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जाय। निर्देशक दून वैली बोर्ड श्री जैन ने बैठक को बताया कि यह मामला उनके स्तर से भी शासन के विचारार्थ भेजा हुआ है। उन्होने संदेह व्यक्त किया कि प्रदूषण नियंत्रक तकनीक का प्रभाव अल्पकालिक होता है। चूँकि बहुत सी ईकाइयो के मालिक आर्थिक व अन्य कारणो से अथवा संयत्रो के खराब हो जाने के पश्चात उन्हे ठीक कराने का प्रयास नही करते। जिला उद्योग केन्द्र की प्रतिनिधि श्री मति विशाल ने बताया कि सम्पूर्ण दूनवैली को शासन द्वारा हरी सूची मे रक्खा गया है और चूना भाट्टियाँ हरी सूची के उद्योग के अन्तर्गत नही आती है। बैठक को यह भी बताया गया कि ~~भारत~~ उ०प्र० सरकार के उद्योग मंत्री श्री अंसारी ने चूना भाट्टी के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया था कि वे इस विषय पर शासन से विचार विमर्श करके उचित निर्देश जारी करेंगे। जिलाधिकारी/ उपाध्यक्ष प्राधिकरण ने बैठक को ~~xxx~~ यह भी अवगत कराया कि इस समय 210 चूना भाट्टियाँ व 40 क्रेशर कार्यरत है और इनमे लगभग 15000 मजदूर व उनके परिवार प्रभावित होते है। यदि इनको यहाँ से हटाया जाता है तो कानून व्यवस्था को भी दृष्टिगत रखना होगा। उनका कथन था कि इस बात से इंकार नही किया जा सकता कि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड सकती है। अध्यक्ष प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण विभाग से आये प्रतिनिधि से इस संबंध मे उनकी राय जाननी चाही। पर्यावरण प्रतिनिधि द्वारा इस संबंध मे कोई भी टिप्पणी करने से अपनी असमर्थता जाहिर की। अध्यक्ष प्राधिकरण द्वारा इस पर खेद व्यक्त किया गया और भविष्य मे अपेक्षा की गई कि उचित जानकारी के साथ ही बैठक मे आना चाहिये। चूना भाट्टियो के पास बसे आवासीय क्षेत्र की जानता द्वारा इन्हे हटाये जाने की माँग है। विषय पर विस्तृत रुप से विचार विमर्श किया गया।

विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि फिलहाल इन ईकाइयो को अन्य निर्देश दिये जाने तक कार्यरत रहने दिया जाय और प्राधिकरण द्वारा 31-5-86 तक इन्हे हटाने का जो नोटिस दिया गया है उसका ~~xxxx~~ 31-12-86 तक स्थागित रक्खा जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि चूँकि यह गंभीर समस्या है अत: शासन को यह संस्तुति की जाय

कार्य-वयन

कि इस समस्या के समाधान हेतु एक उप समिति का गठन किया जाय। देहरादून की महायोजना को चूँकि भारत सरकार के कार्यकारी दल की सिफारिशो के आधार पर अन्तिम रूप दिया गया है/अतः गठित की जाने वाली समिति मे भारत सरकार के प्रतिनिधियो को भी सम्मिलित किया जाना उचित होगा। प्रस्ताव है कि उपसमिति मे भारत सरकार के पर्यावरण/उद्योग विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित किये जाँय। समिति मे नगर विकास, उद्योग, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि एवं रुडकी अनुसंधान केन्द्र के विशेषज्ञ शामिल किये जाँय। प्राधिकरण उ0प्र0 सरकार से निवेदन करे कि वे शीघ्र उक्त उपसमिति का गठन कराने का कष्ट करें। बैठक मे यह भी मत व्यक्त किया गया कि देहरादून के विधायको/जन प्रतिनिधियो एवं जनता को भी उक्त उप-समिति दवारा सुनने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये/ इस प्रस्ताव की सूचना प्रिंसीपल सैक्रेटरी इंडस्ट्रीज उ0प्र0 को भी दी जानी चाहिये।

3- खनन नियमावली बनाने के संबंध मे

खनन नियमावली बनाने के संबंध मे बैठक को बताया गया कि इस संबंध मे एक उपसमिति का गठन किया गया था जिसके दवारा अभी तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई। इस संबंध मे खेद व्यक्त किया गया है। विचार विमर्श के उपरान्त पूर्व मे गठित समिति का पुर्न गठन किया गया। समिति के सदस्य अब उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, प्रभारी अधिकारी माईन्स, वरिष्ट नियोजक, परगना मैजिस्ट्रेट मसूरी एवं प्रबंधक जिला उद्योग मनोनीत किये गये। सचिव, विकास प्राधिकरण इस समिति के संयोजक होगे। इस संबंध मे यह भी निर्देश दिया गया कि समिति इस संबंध मे त्वरित गति से कार्यवाही करे तथा इस संबंध मे मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के संबंधित विभागो दवारा बनाये गये उपनियमो की जानकारी प्राप्त करें।

4- नगर नियोजक की नियुक्ति

बैठक को बताया गया कि पूर्व बैठक मे यह निर्णय लिया गया था कि श्री जे0सी0गुप्ता नगर नियोजक को पन्द्रह दिन के लिये माह मे कार्य करने के लिये मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को लिखा जाय। बैठक को बताया गया कि इस संबंध मे मुख्य नगर नियोजक दवारा अपनी असमर्थता व्यक्त की है। बैठक की जानकारी मे बात लाई गई कि अब श्री- नगर से सहयुक्त नगर नियोजक का कार्यालय देहरादून मे ही स्थानान्तरित हो गया है और श्री गुप्ता की तैनाती इसी कार्यालय मे हो गई है। विचार

विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि श्री गुप्ता प्रति सप्ताह (एल्टरनेट) छोडकर विकास प्राधिकरण मे कार्य करेंगे। यह भी सुझाव रक्खा गया कि सहयुक्त नगर नियोजक का कार्यालय विकास प्राधिकरण के साथ ही बना दिया जाय। निर्णय लिया गया कि जब प्राधिकरण का कार्यालय 12 प्रीतमरोड पर स्थानान्तरित हो जाय तो इसी कार्यालय भवन मे से कुछ स्थान सहयुक्त नियोजक कार्यालय को दे दिया जाय।

5-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शाखा देहरादून मे खोलने संबंधी

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक शाखा देहरादून मे खोलने हेतु निर्णय लिया गया था जिसके लिये शासन को लिखा गया है। बैठक को बताया गया कि अभी तक इस संबंध मे कोई सूचना प्राप्त नही हुई है।इस संबंध मे निर्देश दिये गये कि शासन से पुन: अनुरोध किया जाय और उपाध्यक्ष प्राधिकरण स्वयं अपने स्तर पर अ0शा0 पत्र शासन को भेजे। अध्यक्ष प्राधिकरण के माध्यम से भी शासन को पत्र भेजा जाय।

6-बासमती चावल वाले क्षेत्र का भू-उपयोग परिवर्तन करने के संबंध मे

बैठक को बताया गया कि इसके लिये प्राधिकरण दवारा एक समिति का गठन किया गया था- जिसे अपनी संस्तुति प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी थी।इस समिति की अभी तक कोई बैठक नही हो पाई है। प्राधिकरण को समिति दवारा कोई रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत न करने के संबंध मे खेद व्यक्त किया गया। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि पूर्व मे गठित की गई समिति के सदस्यो मे श्री द्वारिकानाथ धावन को सम्मिलित किया जाय, तथा सचिव, विकास प्राधिकरण इस समिति के भी संयोजक होगे। निर्देश दिये गये कि समिति शीघ्र अपनी रिपोर्ट तैयार कर आगामी बैठक मे प्रस्तुत करे।

7- कार्यालय भवन

बैठक को बताया गया कि गत बैठक मे प्राधिकरण के कार्यालय भवन हेतु कोई स्थान चयन करने के बारे मे निर्णय लिया गया था जिसके अनुसरण मे 12 प्रीतमरोड पर बने भवन को चयन किया गया।यह भवन 4 वर्ष के लिये जिलाधिकारी दवारा प्राधिकरण को आबंटित किया गया है जिसके अधिग्रहण की कार्यवाही प्राधिकरण दवारा शुरु कर दी गई है एवं इसकी मरम्मत का कार्य किया जा रहा है।

विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण का कार्यालय 1-7-86 तक प्रस्तावित भवन मे बदल दिया जाय. जिसके लिये प्राधिकरण की प्रशासनिक स्वीकृती प्रदान की जाती है ।

8- पद सृजन

प्राधिकरण को बताया गया कि निर्माण अभियन्त्रण तथा परियोजना विभाग हेतु लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी आदि के कुछ पद प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किये गये थे जिन पर शासन की स्वीकृती अपेक्षित है। इस संबंध मे शासन के प्रतिनिधि, विशेष सचिव श्री रामबाबू से आग्रह किया गया कि वे प्राधिकरण का कार्य सुचारु रूप से चलाने हेतु इन पदो के सृजन की स्वीकृती अपने स्तर पर सुनिश्चित कराने का प्रयास करें तथा इन पर शीघ्र नियुक्ति के आदेश पारित कराने का कष्ट करें ।

9- महायोजना मे संशोधन के संबंध मे

प्राधिकरण को बताया गया कि इस संबंध मे एक समिति का गठन किया गया था जिसकी कोई भी बैठक अभी तक नही हो पाई। बैठक के निर्णयो का अनुपालन न करने पर अध्यक्ष प्राधिकरण द्वारा खेद व्यक्त किया गया। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि समिति का पुर्नगठन किया जाय। बैठक को यह भी बताया गया कि महायोजना मे पाई जाने वाली कुछ मुख्य मुख्य विसंगतियो का संशोधन करने संबंधी विषय एजेन्डे मे सम्मिलित है। जिसमे ये पूर्व मे बताई गई विसंगतियाँ भी सम्मिलित है। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि महायोजना मे सभी प्रकार की विसंगतियो पर पुनः गठित की गई समिति विचार करेगी। समिति के सदस्य उपाध्यक्ष प्राधिकरण. वरिष्ट नगर नियोजक, निदेशक पर्यावरण. श्रीद्वारिकानाथ धावन एवं सचिव मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण होगे। सहयुक्त नियोजक इस ~~बैठक~~ समिति के संयोजक होगे। इस संबंध मे यह भी निर्देश दिये गये कि समिति के विचार से पूर्व सहयुक्त नियोजक सर्वेक्षण के उपरान्त अपनी विस्तृत रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत करेंगे। समिति स्थल निरीक्षण के पश्चात अपनी संस्तुतियाँ बैठक के समक्ष प्रस्तुत करेगी तथा उसकी एक रिपोर्ट मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को भी भेजेगी।

10- मौहब्बेवाला औद्योगिक जोनल डव्लपमैन्ट प्लान

प्राधिकरण को बताया गया कि मौहब्बेवाला क्षेत्र का औद्योगिक जोनल डव्लपमैन्ट प्लान अध्यक्ष प्राधिकरण से अनुमोदन के उपरान्त दिनांक 22-3-86 को शासन की स्वीकृती हेतु भेजा जा चुका है। जिस पर अभी तक शासन की स्वीकृती अपेक्षित है। इसमे लिये जाने वाले विकास शुल्क के बारे मे अभियन्त्रण विभाग द्वारा आंकी गई 38 रु0 प्रति वर्ग मीटर भूखान्ड क्षेत्रफल की दर की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सहयुक्त नियेजक ने बताया कि उनके द्वारा आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियन्ता से किये गये विचार विनिमय के उपरान्त ये विकास दर 72 रु0 आंकी गई थी। दोनो ही दरो मे काफी अन्तर पाया गया अत: विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस संबंध मे एक समिति का गठन किया जाता हैं जिसके सदस्य श्री गर्ग, अधिक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0, तथा सहयुक्त नियेजक होगे जो प्रस्तावित सुविधाओ के आधार पर इसका आगणन तैयार करेगे तथा एक सप्ताह के अन्दर उपाध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष प्राधिकरण को उक्त दरो को अनुमोदित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया ।

11- मसूरी महायोजना

मसूरी की महायोजना बनाये जाने के बारे मे आ रही अडचनो के संबंध मे सहयुक्त नियोजक द्वारा प्राधिकरण को बताया गया कि उपलब्ध सजरा मानचित्र एक दूसरे से मिल नही पा रहे है और इसके लिये डिटेल सर्वे की आवश्यकता होगी। प्राधिकरण को यह भी बताया गया कि गत बैठक मे यह निर्णय लिया गया था कि जब तक मसूरी की महायोजना तैयार हो तब तक वहाँ के भू-उपयोग निश्चित करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। गठित समिति की कोई बैठक अभी तक नही हो पाई है और समिति द्वारा कोई कार्यवाही इस संबंध मे नही की गई। अध्यक्ष प्राधिकरण द्वाराइस पर खेद व्यक्त किया गया और निर्देश दिये गये कि समिति की रिपोर्ट तुरंत मांगी जाय और समिति की रिपोर्ट उपाध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष प्राधिकरण को शीघ्र प्रस्तुत की जाय ।

12- उपविधियो मे संशोधन

प्राधिकरण को बताया गया कि इस संबंध मे भी प्राधिकरण द्वारा एक समिति गठित की गई थी जिसकी रिपोर्ट

अभी तक प्राप्त नही हुई है। अध्यक्ष प्राधिकरण दवारा गठित समिति दवारा रिपोर्ट न दिये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया। विचार विमर्श के बाद इस समिति का पुर्नगठन किया गया और इसमे श्री द्वारिका-नाथ धावन को सम्मिलित किया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि आर्चिटेक्ट दवारा जो प्रतिवेदन दिया गया है समिति उस पर भी विचार करेगी तथा उप विधियो मे संशोधन के संबंध मे 30-6-86 तक जनता के भी सुझाव प्राप्त किये जाँय। समिति दो माह मे अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी तथा उसे आगामी बैठक मे निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाय। सचिव प्राधिकरण इस समिति के संयोजक होगे।

13- विकास व्यय

इस संबंध मे प्राधिकरण को बताया गया कि इसके लिये भी एक समिति का गठन किया गया था किन्तु उसकी रिपोर्ट भी अभी तक प्राप्त नही हो पाई। निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक तक समिति की संस्तुतियाँ अवश्य प्राप्त हो जाँय।

14- मसूरी की बहुमंजिली ईमारतें

प्राधिकरण को बताया गया कि प्राधिकरण दवारा लिये गये निर्णय व शासन के नवीनतम निर्णयो के आधार पर इन मामलो मे कार्यवाही की गई। बहुमंजिली ईमारतो के विषय मे शासन स्तर पर निर्णय विचाराधीन है। विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण इस विषय मे शासन के निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र व्यवहार करें।

मद सं0 1 ए कार्यालय भवन
= = = = = = = = = = = =

कार्यालय भवन पर परिपालन आख्या पर हुये विचार विमर्श के समय निर्णय लिया जा चुका है कि प्राधिकरण को आबंटित किये गये 12 प्रीतमरोड के भवन पर कार्यालय स्थान्तरित कर दिया जाय।

मद सं0 -2 पद सृजन

प्राधिकरण को बताया गया कि गत बैठक मे प्राधिकरण दवारा जो पद सृजित किये गये थे उनके बारे मे लिखा जा चुका है। इस संबंध मे प्राधिकरण उपाध्यक्ष दवारा भी ~~[illegible]~~ मौखिक तथा लिखित रूप से भी अनुरोध किया गया था। परिपालन आख्या पर विचार के समय भी इस विषय पर विचार किया जा चुका है। उपाध्यक्ष प्राधिकरण दवारा बताया गया कि पद सृजन की स्वीकृती के अलावा

भी कई अन्य मामलो मे शासन की स्वीकृती अपेक्षित है। विशेष सचिव से आग्रह किया गया कि वे अपने स्तर से इसमे शासन की स्वीकृती प्रदान कराने मे कार्यवाही करने का कष्ट करें। उपाध्यक्ष प्राधिकरण ऐसे सभी मामलो मे जिन पर शासन की स्वीकृती अपेक्षित है. के बारे मे अलग अलग पत्र प्रत्येक विषय मे शासन को भेजेगे।

मद सं0-3 बजट एवं आय व्यय का ब्यौरा

प्राधिकरण के समक्ष वर्ष 1985-86 का आय व्यय का ब्यौरा और 86-87 का प्रस्तावित बजट प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत किये गये ब्यौरे के प्रस्तुतिकरण पर सदस्यो द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। यह आम राय थी कि बजट का प्रारूप शासन द्वारा नियत किये गये प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। बैठक को बताया गया कि प्राधिकरण का वर्ष 84-85 का औडिट हो चुका है और उसकी अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इस संबंध मे विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया और एक समिति का गठन किया गया जिसमे उपाध्यक्ष प्राधिकरण. ~~अधिशासी~~ अध्यक्ष रहेगा अभियन्ता सा0नि0वि0 सदस्य होगे तथा सचिव प्राधिकरण इस समिति के संयोजक होगे। समिति आय व्यय का ब्यौरा. बैलेंस शीट तथा 84-85 की आडिट रिपोर्ट पर अपनी संस्तुति आगामी बैठक मे प्रस्तुत करेगी। इस संबंध मे यह भी निर्देश दिये गेय कि लखनऊ व गाजियाबाद आदि विकास प्राधिकरणो से बजट के प्रारूप के फार्म मंगा लिये जाॅय तथा उसी आधार पर बजट प्रस्तुत किया जाय। बैलैंस शीट बनाने के लिये किसी भी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट से विचार विमर्श कर लिया जाय व उसकी सेवा तदर्थ आधार पर प्राप्त कर ली जाॅय। उपाध्यक्ष प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि डी0आर0डी0ए0 कार्यालय मे एम0 कामर्स एक व्यक्ति को डबल एकाउन्टैन्सी की जानकारी है. की सेवाये डेपूटेशन पर लिया जाना उचित होगा। विशेष सचिव से आग्रह किया गया कि वे मुख्य-लेखाधिकारी की नियुक्ति करने के प्रयास अपने स्तर पर करने का कष्ट करे निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक मे बैलेस शीट, बजट 85-86 तथा 86-87 मय विवरण के साथ निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जाय। इस बीच आवश्यक व्यय प्रस्तुत बजट के प्राविधानो मे से उपाध्यक्ष प्राधिकरण की अनुमति से कर लिया जाय।

प्राधिकरण को यह भी बताया गया कि शासन से प्राधिकरण को इस वर्ष कोई ऋण प्राप्त नही हुआ है। केवल प्राधिकरण की स्थापना के समय 50 लाख ~~रुपया~~ रूपये शीड कैपिटल व एक लाख

रुपया अधिष्ठान व्यय हेतु प्राप्त हुआ था। निर्णय लियागया कि ई0डब्लू0एस0 स्कीम के लिये हुडको व राज्य सरकार से धन दिये जाने का आग्रह किया जाय।

मद संख्या -4 लम्बित मानचित्र
= = = = = = = = = = = = =

कार्यालय मे प्राप्त हुये मानचित्रो की स्थिति का ब्योरा(31-3-86 तक(तथा 31-5-86 तक(का ब्योरा अलग से बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बैठक को बताया गया कि इस समय प्राधिकरण के समक्ष कोई भी मानचित्र दो माह से अधिक की अवधि का लम्बित नही है। अध्यक्ष प्राधिकरण द्वारा उन्हे पूर्व मे दिये गये निर्णय के अनुसार रिपोर्ट न भेजे जाने पर खेद व्यक्त किया गया। इस संबंध मे निर्देश दिये गये कि आगे से प्रत्येक माह के अन्त मे मानचित्रो की सही स्थिती का ब्योरा उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष विकास प्राधिकरण को अवश्य भेजा जाया करें।

मद सं0 -5 औद्योगिक जोनल डब्लपमैन्ट प्लान मौहब्बेवाला
= =

1- मौहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र के जोनल प्लान पर विस्तृत विचार विमर्श गत बैठक की परिपालन रिपोर्ट पर विचार के समय किया जा चुका है।अत: उक्त संदर्भ मे लिया गया निर्णय ही इसमे लागू होगा।

2- विकास पुरम जौनल प्लान
- - - - - - - - - - -

विकास पुरम जौनल प्लान के बारे मे विकास प्राधिकरण को बताया गया कि इसके प्रकाशन पर बहुत अधिक आपत्तियॉ प्राप्त हुई है। जनसाधारण द्वारा मुख्य शिकायत की गई है कि जहॉ प्लाट कटे है वहॉ पार्क व अन्य सुविधायें दिखा दी गई है। उक्त प्लान व्यवहारिक नही पाया गया है।सचिव प्राधिकरण ने अवगत कराया कि ये मद आगामी मुख्य बिन्दुओ मे भी विचारार्थ रखा गया है। अध्यक्ष प्राधिकरण द्वारा मुख्य बिन्दु के समय ही इस पर विचार किया जाना स्वीकार किया।

मद सं0-6. बिना ले आऊट वाले क्षेत्रो मे स्थित अनाधिकृत कालोनियो के विनियमिति करण के संबंध मे विचार :
= =

दिनांक 28-1-86 को अध्यक्ष प्राधिकरण.उपाध्यक्ष एवं सचिव के बीच इस संदर्भ मे लिये गये निर्णय को प्राधिकरण की स्वीकृती हेतु प्रस्तुत किये जाने के साथ साथ यह प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया कि जिन क्षेत्रो मे 60 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो चुके है और

जिन क्षेत्रो के बारे मे प्राधिकरण द्वारा 17-12-84 मे गठित की गई समिति द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने की संस्तुति की गई थी तथा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-2-85 मे समिति द्वारा निरीक्षण की गई कुछ कालोकनयो के बारे मे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था, को पुनः स्वीकार कर लिया जाय। बैठक को बताया गया कि समिति की सुस्तुतियो के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अपनी बैठक दिनांक 28-2-85 मे स्वीकृत की गई संस्तुतियो के आधार पर 28-5-85 तक इन सभी कालोनियो मे मानचित्र स्वीकार किये जाते रहे थे। इन सभी क्षेत्रो का सर्वे कराने के उपरान्त यही स्थिति सामने आई कि 60 प्रतिशत और उससे अधिक बने भवनो वाली कोलोनी मे किसी प्रकार के प्लानिग की सम्भावना नही रह गई है। प्राधिकरण द्वारा गठित की गई समिति की आख्या तथा पूर्व मे स्वीकृत की गई संस्तुतियो को पुनः बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया समिति की संस्तुतियो आ अभिलेखा व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव की आख्या दिनांक 22-1-86 को की पढकर सुनाया गया तथा उसे बैठक के समक्ष विचारार्थ रक्खा गया। दोनो अभिलेखो की प्रमाणित प्रतिलिपि 1 व 2 ~~संलग्न~~ है। कार्यवाही का अंश मानी गई। (संलग्न है।) दोनो ही समितियो द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टस और इस विषय पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये:-

1- दिनांक 17-12-84 को इस कार्य हेतु गठित समिति जिसके सदस्य सचिव, विकास प्राधिकरण श्री राकेश, अधिशासी अभियन्ता आवास विकास परिषद श्री शेरसिंह, व नगर नियोजक श्री एन0आर0 वर्मा थे। समिति द्वारा प्रस्तुत ऐसी कालोनियो की सूची जिसमे 60 प्रतिशत निर्माण कार्य हो चुका है प्रस्तुत की गई थीऔर यह संस्तुति की थी कि इन कालोनियो मे बिना ले आऊट मांगे ही इस मानचित्र स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है। उसी संस्तुति के आधार पर पुनः यह निर्णय लिया गया कि जिन क्षेत्रो मे 28-5-85 तक मानचित्र स्वीकृतकिये जाते रहे है उनमे विकास शुल्क 10 रु0 प्रति वर्ग मीटर प्लाट क्षेत्रफल पर तथा उसके साथ इस आशय का अनुबंध लेकर कि यदि प्राधिकरण द्वारा भविष्य मे कोलोनी को विकसित करने मे अतिरिक्त व्यय मांगा जाता है तो वह देय होगा और आवेदक अनुपातिक दर से इसका भुगतान करेंगे। इन क्षेत्रो मे तत्काल प्रभाव से तकनीकी जॉच के उपरान्त नियमा के अन्तर्गत, मानचित्र स्वीकृत करने की

कार्यवाही की जाये। इस संबंध मे यह भी निर्णय लिया गया कि 60 प्रतिशत के निमार्ण वाली ऐसी सभी कालोनियो को प्राप्त ले आऊट के अनुसार उसे बाधित कर दिया जाय और अलग से उसे सजरा मानचित्र पर रेखांकित कर दिया जाय ताकि इन क्षेत्रो के आगे बढने की गुजाईश न रहे। जिन कालोनियो मे 60 प्रतिशत से अधिक मकान बन जाने के बारे मे बताया गया उनकी तालिका निम्न प्रकार है:-

1- केवल बिहार
2- महेन्द्र बिहार
3- आकाश दीप
4- सुन्दर बिहार
5- बन बिहार
6- राम बिहार
7- बल्लूपुर
8- विजयपार्क का कुछ भाग
9- न्यू आराघर कालोनी
10- ई0सी0रोड कालोनी

ﾠ(क)

1- शक्ति कालोनी
2- ~~ई0सी0रोड कालोनी~~
3- आर्य नगर कालोनी
4- कैलाशपुरी
5- अल्कापुरी
6- रिस्पना व सहस्त्रधारा रोड के बीच का क्षेत्र
7- रायपुर रोड से अधोईवाला ग्राम के किनारे तक

& कालोनी कालीदास

2 - श्रेणी" क" के अन्तर्गत इंगित की गई कालोनियो के लिये भी अवर अभियन्ता श्री शर्मा दवारा बताया गया कि इन कालोनियो के 60 प्रतिशत निर्माण के आधार पर गठित समिति दवारा अपनी संस्तुतियाँ दी थी और इसी आधार पर इन कालोनियो मे भी 28-5-85 तक मानचित्र स्वीकृत किये जाते रहे है। प्राधिकरण के समक्ष समिति की संस्तुतियाँ प्रस्तुत नही की गई। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया कि यदि समिति की संस्तुतियाँ इन कालोनियो के बारे मे प्रस्तुत कर दी जाती है तो इन्हे उपरोक्त निर्णय अनुसार ही विकास शुल्क आदि लेकर इनके मानचित्र स्वीकार के लिये जायँ। यदि संस्तुति प्रस्तुत नही की जाती है तो इस संबंध मे गठित की जाने वाली कमेटी ही इन कालोनियो पर भी विचार करेगी।

कार्यवाही की जाये। इस संबंध मे यह भी निर्णय लिया गया कि 60 प्रतिशत के निमार्ण वाली ऐसी सभी कालोनियो को प्राप्त ले आउट के अनुसार उसे बाधित कर दिया जाय और अलग से उसे सजरा मानचित्र पर रेखांकित कर दिया जाय ताकि इन क्षेत्रो के आगे बढने की गुजाईश न रहे। जिन कालोनियो मे 60 प्रतिशत से अधिक मकान बन जाने के बारे मे बताया गया उनकी तालिका निम्न प्रकार है:-

1- केवल बिहार
2- महेन्द्र बिहार
3- आकाश दीप
4- सुन्दर बिहार
5- बन बिहार
6- राम बिहार
7- बल्लूपुर
8- विजयपार्क का कुछ भाग
9- न्यू आराधार कालोनी
10- ई०सी०रोड कालोनी

(क)

1- शक्ति कालोनी
2- ~~ई०सी०रोड कालोनी~~
3- आर्य नगर कालोनी
4- कैलाशपुरी
5- अल्कापुरी
6- रिस्पना व सहस्त्रधारा रोड के बीच का क्षेत्र
7- रायपुर रोड से अधोईवाला ग्राम के किनारे तक

2 – श्रेणी" क" के अन्तंगत इंगित की गई कालोनियो के लिये भी अवर अभियन्ता श्री शर्मा दवारा बताया गया कि इन कालोनियो के 60 प्रतिशत निर्माण के आधार पर गठित समिति दवारा अपनी संस्तुतियाँ दी थी और इसी आधार पर इन कालोनियो मे भी 28-5-85 तक मानचित्र स्वीकृत किये जाते रहे है। प्राधिकरण के समक्ष समिति की संस्तुतियाँ प्रस्तुत नही की गई । विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया कि यदि समिति की सुस्तुतियाँ इन कालोनियो के बारे मे प्रस्तुत कर दी जाती है तो इन्हे उपरोक्त निर्णय अनुसार ही विकास शुल्क आदि लेकर इनके मानचित्र स्वीकार के लिये जॉय। यदि संस्तुति प्रस्तुत नही की जाती है तो इस संबंध मे गठित की जाने वाली कमेटी ही इन कालोनियो पर भी विचार करेगी।

3- इंगित कालोनियो के अतिरिक्त अन्य कालोनियाँ ~~और~~ जिनमे 60 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो चुका है के बारे मे भी यह निर्देश दिये गये कि यदि सर्वेक्षण मे ऐसी कोई कालोनी छूट गई हो तो गठित समिति इस पर विचार करेगी। समिति के सदस्य सचिव, विकास प्राधिकरण, सहयुक्त नियोजक व श्री शेर सिंह अधिशासी अभियन्ता आवास विकास परिषद होगे। समिति इन कालोनियो के बारे मे विचार करेगी तथा अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकार प्राप्त समिति को प्रस्तुत करेगी। समिति कालोनी के बारे मे निर्णय लेने के साथ साथ प्राधिकरण द्वारा लगाई गई रोक के दिनांक से अब तक जो भी निर्माण हुये है उसकी भीजाँच करेगी तथा उनके ~~विमर्श~~ अनाधिकृत निर्माण समाधान किये जाने पर विचार करेगी। अनाधिकृत निर्माणो पर भी विकास शुल्क रु० 10/- तथा अनुबंधानुदेय अतिरिक्त शुल्क होगा।

4- 60 प्रतिशत से अधिक भवन बन चुकी कालोनी के बारे मे विचार करते समय श्री धावन द्वारा कुछ ऐसी कालोनी के बारे मे बताया जिनका भू-उपयोग इस समय ग्रीन बैल्ट है। उनका कथन था कि इन कालोनियो मे पिछले 10 वर्षों से भी अधिक से निर्माण कार्य हो रहा है और इनमे 60 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो चुका है। इनका भू-उपयोग बदलने के बारे मे शासन को लिखा जाना चाहिये और इनमे नक्शो की स्वीकृती दी जानी चाहिये। इन कालोनियो के नाम निम्न प्रकार बताये गये:

1- सत्य बिहार
2- विजय पार्क का कुछ भाग
3- सत्य बिहार एक्सटेन्शन
4- डाकतार तार विभाग कालोनी
5- गोविन्दगढ

विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि गठित समिति इन कालोनियो के बारे मे भी अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत करेगी।

5- 60 प्रतिशत से कम निर्माण वाली कालोनियो के बारे मे प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कि प्रत्येक कालोनी को अलग अलग मानकर स्वीकार किया जाना चाहिये, पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। बनाये गये विकास पुरम के जोनल प्लान पर आ रही कठिनाईयो व जन शिकायतो से भी प्राधिकरण को अवगत कराया गया। इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि

प्रत्येक कालोनी को अलग अलग लेकर उस पर विचार किया जाय। प्रथम कालोनी का ले आउट लेकर उसे स्थल के अनुसार सत्यापित किया जाय तथा प्राधिकरण द्वारा गठित समिति उसमे यह निर्णय करे कि इसमे नियमानुसार कितना पार्क किस स्थान पर छोडना उपयुक्त होगा। समिति ऐसी अलग अलग कालोनी के लिये जिनके ले आउट सत्यापित हो गये हो, को प्रो-राटा बेसिज पर विकास शुल्क की गणना करेगी एवं जन सुविधाओं और पार्क के लिये कितना प्राविधान किया जाना है का भी निर्णय करेगी। समिति प्रत्येक कालोनी के लिये अपनी संस्तुति एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति को प्रस्तुत करेगी जिसके सदस्य उपाध्यक्ष प्राधिकरण, नगर नियोजक, श्री द्वारिकानाथ धवन व श्री गर्ग अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0होगे। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी रोड की चौडाई हेतु छुडाई जाने वाली भूमि 20 प्रतिशत तक होती है तो उसके लिये किसी प्रकार का कोई मुआवजा भूमि स्वामी को नही दिया जायेगा किन्तु यदि यह भूमि 20 प्रतिशत से अधिक होगी तो उसके लिये उसे समुचित मुआवजा देना होगा, जिसके लिये उच्चाधिकार समिति को ही अधिकृत किया जाता है। यह भी निर्णय लिया गया कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति जिन कालोनियो के लिये समिति की संस्तुति स्वीकार कर लेती है, उसमे पब्लिक यूटिलिटीज व पार्क के लिये निर्धारित किये गये स्थान यदि प्राधिकरण के हित मे प्राप्त हो जाँय तो समिति ले आउट स्वीकार करते हुये मानचित्र स्वीकृती की कार्यवाही के लिये आदेश निर्गत करेगी। यदि किसी कालोनी मे इन सुविधाओ के लिये रिसेल के प्लाट प्राप्त होते है तो उप समिति इसके मुल्य निर्धारण की सुस्तुति करेगी, ~~जिसको अनुमोदन करने का अधिकार उच्चाधिकार प्राप्त समिति को होगा।~~ इसके अतिरिक्त यदि उक्त सुविधाओ के लिये भूमि प्राप्त नही होती है तो उसके अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु निर्देशित करेगी तथा उक्त भूमि प्राप्त होने के उपरान्त ही मानचित्र स्वीकृती की कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी ।

यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी कालोनी मे प्राप्त प्लाटो मे से पार्क व जन सुविधाओ के लिये स्थान उपयुक्त न पाया जाय तो उच्चाधिकार प्राप्त समिति को अधिकार होगा कि वह कालोनी के आस पास के मिले क्षेत्रो मे यह स्थान जहाँ प्लाटिंग न हुई हो सुरक्षित करा दें और उसका अभिभार उस कालोनी के प्लाट होल्डर पर अलग से लगा दे ।

यह भी निर्णय लिया गया कि 20 प्रतिशत से अधिक वृक्षादित प्लाट यदि उस पर प्रस्तावित निर्माण के कारण पेड कटने की संभावना हो तो उस प्लाट पर निर्माण की

स्वीकृती न दी जाय।

मद सं0-7 विकास परियोजनाए
= = = = = = = = = = = = =

1- लक्ष्मण चौक
- - - - - - -

लक्ष्मणचौक 3264 वर्ग मीटर भूमि जो प्राधिकरण को सीलिंग से प्राप्त हुई थी की परियोजना स्वीकृती हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्राधिकरण को बताया गया कि इसका ले आऊट उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष प्राधिकरण से अनुमोदित करा लिया गया था तथा इस पर दुर्बल आय वर्ग हेतु आवासीय भावनो का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। जिसमे 31-3-86 तक 3 भावन बनकर तैयार हो चुके थे और कुछ भावनो का निर्माण कार्य चल रहा है। इस परियोजना की लागत 40 लाख रुपये आंकी गई है। प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत ले आऊट एवं परियोजना पर विस्तृत रुप से विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत ले-आऊट मे कुछ संशोधन किये जाने चाहिये। इसमे दिखाया गया पार्क जो किनारे पर है, मध्य मे होना चाहिये। वरिष्ठ नियोजक श्री शर्मा द्वारा प्राधिकरण को बताया गया कि उनके विभाग द्वारा ई0डब्लू0एस0 स्कीम का एक मोडल ले आऊट तैयार किया गया है जिसे वह प्राधिकरण को शीघ्र भेज देगे। तैयार किया गया ले-आऊट प्रस्तुत ले आऊट से बेहतर है। उपाध्यक्ष प्राधिकरण द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि इस योजना की पूर्ती के लिये हुडको से ऋण ले लिया जाय और उनके द्वारा ले-आऊट व डिजाइन को भी शीघ्र कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उस पर विचार कर लिया जाय। विचार विमर्श के उपरान्त योजना सैद्धान्तिक रुप से अनुमोदित की गई।

2- ढाक पट्टी
- - - - - -

ढाक पट्टी मेमसूरी रोड पर प्राधिकरण को सीलिग विभाग से प्राप्त हुई 3648 वर्ग मीटर भूमि पर आवासीय योजना के लिये तैयार किया गया ले आऊट बैठक के समक्ष स्वीकृती हेतु प्रस्तुत किया गया। बैठक को बताया गया कि इसका यह ले आऊट मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग लखनऊ द्वारा तैयार किया गया है। इसमे मध्यम आय वर्ग हेतु 9 तथा उच्च आय वर्ग हेतु 8 प्लाट प्रस्तावित किये गये है। प्राधिकरण द्वारा इसमे प्लाट दिये जाने की ही योजना है। प्रस्तुत ले आऊट पर विस्तृत रुप से विचार विमर्श किया गया और

यह निर्णय लिया गया कि इसे श्रेणी "ए" व "बी" मे बांटा जाय "ए" श्रेणी के प्लाट का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर हो व "बी" श्रेणी के प्लाट का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो। यह भी निर्णय लिया गया कि 500-500 वर्ग मीटर के दो प्लाट विकास प्राधिकरण के रैस्ट हाउस बनाने के लिये आरक्षित कर दिये जॉय। रैस्ट हाउस की योजना का विस्तृत विवरण आगामी बैठक मे स्वीकृती हेतु प्रस्तुत किया जाय। शेष बचे प्लाटो को निलामी प्रक्रिया (3/4/7/ और), विकसित करने के उपरान्त बेच दिया जाय। परियोजना सिद्धान्त रूप से स्वीकृत की गई ।

3- राजपुर
- - - - -

राजपुर मे सीलिंग विभाग से अतिरिक्त घोषित की गई 803 वर्ग मीटर भूमि जो विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित हो चुकी है. पर रैस्ट हाउस बनाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष स्वीकृती हेतु प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस भूमि पर दुर्बल आय वर्ग आवासीय भावनो की योजना बनाई जाय और उसका प्रस्ताव स्वीकृती हेतु प्राधिकरण के समक्ष रक्खा जाय। रैस्ट हाउस का प्रस्ताव ढाक पट्टी योजना मे ही प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार रक्खा जाय।

4- अजबपुर कलाँ
- - - - - - -

डिफन्स कालोनी के समीप ग्राम समाज की 27-76 एकड भूमि जो प्राधिकरण को प्राप्त हो चुकी है पर दुर्बल आय वर्ग व निम्न आय वर्ग हेतु प्लाट बनाये जाने का प्रस्तावित ले आउट प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण को बताया गया कि विकास प्राधिकरण दवारा इस भूमि का मुल्य 3,33,120/- रु० ग्राम समाज कोष मे जमा करा दिया गया है और भूमि का कब्जा भी विकास प्राधिकरण दवारा लिया जा चुका है। प्रस्तुत ले-आउट पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि इसमे प्लाट का साईज ई०डब्लू०एस० के लिये 50 वर्ग मी०. सी कटेगरी के लिये 125 वर्ग मीटर व बी कटेगरी के लिये 200 वर्ग मीटर के प्लाट बनाये जॉय। इस योजना पर शासन व हुडको से ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही की जाय। सिद्धान्त रूप से योजना स्वीकार की गई व निर्देश दिये गये कि इसमे आगामी कार्यवाही त्वरित गति से की जाय।

5- डालनवाला आवासीय योजना

ग्राम सभा की 22-61 एकड भूमि जो विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित हो चुकी है और जिसकी योजना प्राधिकरण द्वारा पूर्व मे स्वीकृत की जा चुकी है और इसमे दुर्बल आय वर्ग के लिये कुछ रजिस्ट्रेशन भी किये जा चुके थे उसे पुन: प्राधिकरण के समक्ष कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृती हेतु प्रस्तुत किया गया। बैठक को बताया गया कि इस योजना पर कार्य शासन के आदेश के अनुसार स्थगित रक्खा गया है।यह भूमि पूर्व मे खेलकूद विभाग को स्टेडियम के लिये दी गई थी। इस भूमि का निरीक्षण कुछ महीने पूर्व सचिव पर्वतीय विकास, सचिव खेलकूद विभाग द्वारा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष प्राधिकरण की उपस्थिति मे किया गया था। वार्तालाप के समय सिद्धान्त रूप से मान लिया गया था कि इस पर स्टेडियम का निर्माण उपयुक्त नही होगा क्योकि स्टेडियम बनाये जाने से काफी पेड काटने होगे और यह भूमि महायोजना मे भी आवासीय भू-उपयोग हेतु ही दर्शाई गई है।प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस योजना को फिलहाल आगामी बैठक तक स्थगित रक्खा जाय और फोलोअप पर शासन से अन्तिम निर्णय प्राथमिकता पर प्राप्त कर लिया जाये।

6- तिब्बती बाजार व्यवसायिक योजना

तिब्बती बाजार व्यवसायिक योजना जिसे प्राधिकरण द्वारा पूर्व मे स्वीकृत कर दिया गया था और जिसमे 12 दुकाने व साईड स्टोर का निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा शुरू कर दिया गया था। दिनांक 21-11-86 की बैठक मे परियोजना को स्थगित रक्खे जाने का निर्णय लिया गया था। इस कार्य को प्रारंभ करने का प्रस्ताव पुन: बैठक के समक्ष रक्खा गया। बैठक को बताया गया कि शुरू किये गये निर्माण मे लगभग 50,000 रू० प्राधिकरण का व्यय हो चुका है। प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि वर्तमान मे केवल जमनेजियम के सामने की ओर तथा उसके पूर्व की ओर ले आऊट मे दिखाई गई दुकानो को ही बनाया जाय और इसमे दो मुत्रालय भी बनाये जाँय। यह भी निर्णय लिया गया कि इसके सामने व आस पास की भूमि को योजना के ले आऊट के अनुसार सौन्दयकरण हेतु विकास किया जाय।

7- अन्य परियोजनाए
- - - - - - - - -

प्राधिकरण की अन्य परियोजना हेतु कछ सम्पत्तियो के अधिग्रहण के प्रस्ताव किये गये है जिनमे मुख्य राजपुर रोड पर सम्पत्ति सं0 69 व 71 है। जिन्हे व्यवसायिक व कार्यालय हेत अधिग्रहित किये जाने का प्रस्ताव है तथा कार्यालय हेतु 12 प्रीतमरोड पर आबंटित किये गये भवन को अधिग्रहित किये जाने का प्रस्ताव किया गया। इनमे धारा 4ऻ1ऻ की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। अधिग्रहण का प्रस्ताव प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्ताव प्रस्तुति पर विचार विमर्श किया गया निर्देश दिये गये कि भविष्य मे अधिग्रहित की जाने वाली सम्पत्तियो का पूर्ण विवरण प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाया करे। विचार विमर्श के दौरान श्री धावन का कथन था कि यदि किसी सम्पत्ति मे कोई व्यक्ति रह रहा हो तो उसे न हटाया जाय. निर्णय लिया गया कि अधिग्रहण की कार्यवाही का अनुमोदन किया जाता है।

प्राधिकरण के समक्ष महायोजना मे दिखाये गये ट्रक टर्मिनल, ट्रान्सपोर्ट नगर व बस स्टैंड के लिये निर्दिष्ट की गई भूमि को अधिग्रहित किये जाने का प्रस्ताव पर भी विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि इन स्थानो के अधिग्रहण की कार्यवाही की जाये। सिद्धान्त रूप से इन योजनाओ के लिये प्राधिकरण की सहमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

अध्यक्ष महोदय की अनुमति विषयो मे अलग अलग स्थानो पर होटल निर्माण के मानचित्र प्राधिकरण के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किये गये। प्राधिकरण को बताया गया कि इन होटलो के निर्माण स्थल महायोजना देहरादून मे आर-2 आवासीय यूज जोन तथा आर-3 आवासीय यूज जोन मे पडते है। इन यूज जोनो मे होटल निर्माण की अनुमति केवल प्राधिकरण द्वारा ही अनुमन्य है, ऐसा महायोजना बाईलाज मे निहित है। प्रस्तुत किये गये कुछ प्रस्तावित होटलो के निर्माण प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वरिष्ट नियोजक द्वारा बताया गया कि उनके विभाग द्वारा बडे होटलो व छोट होटलो के लिये अलग अलग गाईड लाईन दी गई है। उनके होटल निर्माण की अनुमति दिये जाते समय दृष्टिगत रखा जाना चाहिये। विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि

प्रत्येक होटल पर अलग-अलग विस्तृत रिपोर्ट वर्तमान बाईलाज व नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा भेजी गई गाइड लाइनो को ध्यान मे रखते हुये विस्तृत रिपोर्ट आगामी बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जाय। रिपोर्ट मे स्थल की स्थिति आस पास के निर्माणो का ब्योरा तथा बाईलाज के अन्तर्गत उसकी उपयुक्तता का स्पस्ट उल्लेख किया जाना चाहिये। और तब तक के लिये प्रस्तुत होटल मानचित्र जो निम्नवत् है को लम्बित रक्खा जाय ।

1- होटल क्लासि, 2- मेजर देवेन्द्र सिंह आदि का मानचित्र, 3-सनी होटल 4- होटल आंचल, 5- सुखदेव राजन द्वारा प्रस्तुत होटल मानचित्र, 6- होटल रिलैक्स, 7- नीरज जैन द्वारा प्रस्तुत होटल मानचित्र 8-मैसर्स बी0डी0 होटल्स का मानचित्र 9- श्री विजय कुमार द्वारा प्रस्तुत होटल मानचित्र 10- होटल एकता ।

इसके अति0 होटल अंकुश, गतिका, स्वैता ~~श्री महेन्द्र कुमार वर्मा~~ द्वारा बैठक के समक्ष प्रत्रावलियाँ के बारे मे निर्देश दिये गये कि ये भी जाँच रिपोर्ट के साथ आगामी बैठक मे प्रस्तुत किये जाँय।

2- मास्टर प्लान की मुख्य-मुख्य विसंगतियाँ :-

महायोजना मे रह गई कुछ मुख्य मुख्य विसंगतियों की एक सूची प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई। इस विषय पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श गत बैठक की कार्यवाही की परिपालन रिपोर्ट इस संदर्भ मे आई रिपोर्ट पर किया जा चुका है। महायोजना की विसंगतियो के बारे मे गत बैठक मे गठित की गई समिति ही इन तमाम विसंगतियो पर भी विचार करेगी, का निर्णय लिया जा चुका है। अतः अब इसमे अलग से किसी निर्णय की आवश्यकता नही है।

3- अभिवक्ता की नियुक्ति

प्राधिकरण के लिये स्थानीय न्यायालय हेतु एक तथा उच्च न्यायालय के लिये अलग से एक अन्य अभिवक्ता की नियुक्ति का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण को बताया गया कि इस समय प्राधिकरण के विरुद्ध 37 याचिकाए उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है तथा स्थानीय न्यायालय मे भी प्राधिकरण के विरुद्ध काफी मामले दायर हुये है। जिनके लिये पैरवी हेतु उच्च न्यायालय व स्थानीय न्यायालय के लिये अलग अलग अभिवक्ता को नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है। प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि स्थानीय न्यायालय के लिये एक विज्ञप्ति जारी की जाय और उसके संदर्भ मे प्राप्त प्रार्थना पत्रो की जाँच के उपरान्त अनुभव के आधार पर एक पैनल बना दिया जाय। पैनल को प्रति केस के आधार पर मानदेय स्वीकार किया जाय । उपाध्यक्ष प्राधिकरण xxxxxxx पेज 23

अध्यक्ष प्राधिकरण के अनुमोदन से पैनल स्वीकार कर सकेंगे तथा उनका मानदेय भी निर्धारित कर सकेंगे। माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिकाओ के लिये अभिवक्ता की नियुक्ति के बारे मे निर्णय बनारस व इलाहाबाद विकास प्राधिकरणो द्वारा नियत व्यक्ति को उनकी शर्तों के आधार पर नियुक्त कर लिया जाय। उपाध्यक्ष को इस नियुक्ति हेतु अधिकृत किया जाता है।

4- वास्तुविद की नियुक्ति

प्राधिकरण का कार्य सुचारु रुप से चलाये जाने के लिये एक वास्तुविद की नियुक्ति का प्रस्ताव बैठक के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण को बताया गया कि एक वास्तुविद का पद शासन द्वारा सृजित है। प्राधिकरण द्वारा शासन से बार बार अनुरोध के बाद भी इस पद पर किसी की नियुक्ति नही की गई है। प्राधिकरण के अनुमोदन की प्रत्याशा मे एक विज्ञापन इस संदर्भ मे जारी किया गया। प्रस्ताव पर विस्तृत रुप से विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान बताया गया कि उक्त प्रस्ताव अभ्यर्थी को द्वितीय वेतन मान मे रक्खे जाने का प्रस्ताव है। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि वास्तुविद की नियुक्ति के साथ साथ नगर नियोजक के लिये भी विज्ञप्ति जारी कर दी जाय। नगर नियोजक के लिये अधिक उचित होगा कि इसके लिये इंजिनियरिंग प्राप्त टाउन प्लानर की योग्यता अभ्यर्थी रखता हो तो उसे वरियता दी जाय। उपाध्यक्ष प्राधिकरण साक्षात्कार के समय अनुभव के आधार पर वेतनमान मे एक दो बढोतरी दिये जाने के लिये अधिकृत होंगे।

5- श्री विश्वेश्वर प्रसाद शास्त्री द्वारा प्रस्तावित मानचित्र

श्री शास्त्री द्वारा दुकानो का एक मानचित्र कलेक्ट्रेट के पीछे की सडक पर स्थित स्थल पर निर्माण की स्वीकृती हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसका भू-उपयोग देहरादून महायोजना मे सरकारी कार्यालय हेतु निर्धारित है। प्राधिकरण को बताया गया कि इस भू-उपयोग मे स्थानीय शोपिंग सेंन्टर की स्वीकृती प्राधिकरण द्वारा ही दी जा सकती है। मानचित्र पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत की गई। दुकानो के इस मानचित्र पर विस्तृत रुप से विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि चूँकि वह स्थल सरकारी कार्यालय हेतु निर्धारित भू उपयोग के अन्तर्गत आता है व कलेक्ट्रेट का भावी विस्तार संभावित है अत: इस स्थल

पर दुकानो के निर्माण की स्वीकृती प्रदान नही की जा सकती है। मानचित्र महायोजना भू-उपयोग के विपरीत होने के आधार पर अस्वीकृत किया जाता है।

6- श्री मति कौशाल्या अग्रवाल दवारा प्रस्तुत दुकानो का मानचित्र

श्रीमति कौशाल्या अग्रवाल दवारा प्रस्तुत दुकानो का मानचित्र स्वीकृती हेतु बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बैठक को बताया गया कि उक्त प्रस्तावित निर्माण स्थाल कलेक्ट्रेट के पीछे की ओर जाने वाली रोड पर स्थित है और इसका भू-उपयोग देहरादून की महायोजना मे सरकारी कार्यालय हेतु निर्धारित है। इस भू-उपयोग के अन्तर्गत लोकल शापिंग सेन्टर की अनुमति केवल प्राधिकरण दवारा ही दिया जाना निहित है। दुकानो के मानचित्र पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि चूँकि यह स्थाल सरकारी कार्यालय हेतु निर्धारित भू-उपयोग के अन्तर्गत पडता है और कलेक्ट्रेट का विस्तार भविष्य मे संभावी है। अत: इस स्थाल पर प्रस्तावित दुकानो की स्वीकृती प्रदान नही की जाती है। मानचित्र इसी आधार पर निरस्त किया जाता है।

7- श्री ओमप्रकाश तथा श्री सन्तलाल के ड्राफ्समैन के लाईसैंस दिये जाने के प्रार्थना पत्र

श्री ओमप्रकाश व श्री सन्तलाल दोनो ही दवारा बिना योग्यता रक्खो लम्बे अनुभाव के आधार पर लाईसैंस दिये जाने का प्रार्थना पत्र दिया है। बिना योग्यता रक्खो लम्बे अनुभाव के आधार पर लाईसैंस दिये जाने के बारे मे विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि चूँकि प्राधिकरण दवारा स्वीकृत बाईलाज मे अनुभाव के आधार पर लाईसैंस दिये जाने का कोई प्राविधान निहित नही है। अत: उन्हे लाईसैंस दिये जाने का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है ।

8- जे0के0कैमिकल्स चन्द्रबनी का प्रार्थना पत्र

मै0 जे0के0कैमिकल्स दवारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे चन्द्रबनी स्थित उनकी भूमि पर औदयोगिक मानचित्र स्वीकृत करने की प्रार्थना की है। प्रार्थना पत्र के संदर्भ मे निवेदक को सुना गया। उनका कथन था कि उनके दवारा मानचित्र कार्यालय नियत प्राधिकारी मे दाखिल किया गया था और उस समय यह स्थाल औदयोगिक क्षेत्र मे दिखाया गया था और उनसे केवल तब प्रदूषण रहित होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र ही मांगा गया

था। प्राधिकरण को बताया गया था कि इस समय इस स्थल का भू-उपयोग कृषि भूमि है। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि महायोजना के विपरीत भू-उपयोग मे किसी प्रकार के उदयोग की स्वीकृती उचित नही है।अत: प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया जाता है।

9- श्री समयसिंह रावत दवारा प्रैस लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का प्रार्थना पत्र

श्री रावत दवारा सैयद मौहल्ले मे प्रिंटिंग प्रैस लगाने हेतु अनुमति के लिये प्रार्थना पत्र दिया गया. जिसे प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण को बताया गया कि उक्त स्थल देहरादून महायोजना मे आर-2 यूज जोन मे है और इस पर अवर अभियन्ता दवारा रिपोंट दी गई है कि आर-2यूज जोन मे प्रैस लगाने का कोई प्राविधान नही है। प्रार्थना पत्र पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। शासन दवारा प्रैस लगाने के संबंध मे दिये गये निर्देशो को भी देखा गया निर्णय लिया गया कि इसमे प्रथम पुलिस रिपोंट प्राप्त कर ली जाय और रिपोंट सहित इसे आगामी बैठक मे पुन: प्रस्तुत किया जाय।

10- कलावती धर्मशाला

श्री मति कलावती धर्मशाला दवारा अनाधिकृत रूप से किये गये निर्माण को समाधान करने के संबंध मे एक प्रार्थना पत्र दिया। जिसे प्राधिकरण के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण को बताया गया कि धर्मशाला दवारा कुछ निर्माण अनाधिकृत रूप से कर लिया गया है.व कुछ निर्माण पूर्व मे स्वीकृत ~~अxxx~~ मानचित्र के विरुद्ध किया गया है। किया गया कुछ निर्माण सामने के सैट बैक मे किया गया है जो प्राधिकरण दवारा बनाये गये कम्पाऊडिंग शैडुल के अनुसार समाधान योग्य नही है। प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलो मे विस्तृत रिपोंट इस डिटेल के साथ प्रस्तुत की जाय कि कितना निर्माण समाधान योग्य नही है तथा कितना निर्माण समाधान किये जाने योग्य है। आगामी बैठक मे विस्तृत रिपोंट के साथ पत्रावली पुन: प्रस्तुत की जाय।

11- प्राधिकरण अधिकारी/कर्मचारी के लिये मैडिकल भत्ता

प्राधिकरण मे कार्यरत अधिकारियो व कर्मचारियो को शासनादेश सं0~~3~~480/37-2-79 डी0ए0/78 दिनांक 6-10-79 के

अनुसार मैडिकल भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव बैठक की स्वीकृती हेतु प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण को बताया गया कि उपाध्यक्ष प्राधिकरण के आदेश दिनांक 14-1-86 द्वारा दिनांक 1-4-85 से यह भत्ता प्राधिकरण के समस्त अधिकारियो एवं कर्मचारियो को भुगतान किया जा रहा है। प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा यह भत्ता/ शासनादेश मे दी गई शर्तों के अनुसार दिये जाने की स्वीकृती प्रदान की गई ।

12- कार्यालय भवन

प्राधिकरण का कार्यालय 12 प्रीतमरोड पर शिफ्ट करने हेतु तथा आवंटित भवन की मरम्मत आदि के लिये स्वीकृती प्रदान करने का एक प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष रक्खा गया। प्राधिकरण को पूर्व मे बताया जा चुका है कि इसकी मरम्मत का कार्य जारी है। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि चूँकि कार्यालय बदलने का निर्णय इसी बैठक मे पूर्व मे लिया जा चुका है अत: उसी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। कार्यालय बदलने व उसके मरम्मत मे आने वाले व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

13- वेतन बिल पर सचिव एवं प्रभारी लेखा को अधिकार दिये जाने का प्रस्ताव :

प्राधिकरण की दिनांक 21-11-85 की बैठक मे वेतन बिलो पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्रभारी लेखा, सचिव व उपाध्यक्ष प्राधिकरण मे निहित किया गया था। अब ये प्रस्ताव है कि यह अधिकार प्रभारी लेखा व सचिव को ही दे दिया जाय। प्राधिकरण को बताया गया कि जिलाधिकारी ही उपाध्यक्ष का कार्य देख रहे है और उनके पास अन्य बहुत से महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे कम समय मिल पाता है। अध्यक्ष प्राधिकरण से उक्त प्रस्ताव की अनुमति प्राप्त कर ली गई थी। प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि अधिकारी व कर्मचारियो के वेतन बिलो के लिये प्रभारी लेखा व सचिव को हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया जाता है ।

14- मसूरी मे प्राधिकरण के कैम्प कार्यालय खोलने का प्रस्ताव

अनाधिकृत निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण के लिये प्राधिकरण का एक कैम्प कार्यालय मसूरी मे खोलने के आदेश उपाध्यक्ष प्राधिकरण द्वारा दिये गये थे और परगना मैजिस्टेट मसूरी को

Ch

इसका प्रभारी नियुक्त किया गया। कार्यालय के लिये 5.000/- रु0 की अग्रिम धनराशी दी गई। मसूरी मे प्रभावी नियंत्रण के लिये नगर पालिका के कर्मचारियो को अतिरिक्त कार्य देखने के लिये दिनांक 1-4-86 से मानदेय देना स्वीकार किया गया था। इसमे अवर अभियन्ता को 75/- रु0 प्रति माह, लिपिक को 50/-रु0 प्रति माह व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 20/- प्रति माह। प्राधिकरण को यह भी बताया गया कि वर्ष 86-87 के लिये कैम्प कार्यालय हेतु 15000/- रु0 रक्खे जाने का प्रस्ताव रक्खा गया है। प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया निर्णय लिया गया कि कैम्प कार्यालय व नगर पालिका कर्मचारियो को दिया जा रहा मानदेय की स्वीकृती प्रदान की जाती है ।

15- प्राधिकरण के कर्मचारियो को 1-4-86 से वाहन भत्ता/साईकिल भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव

प्राधिकरण के कर्मचारियो को वाहन/साईकिल भत्ता दिनांक 1-4-86 से दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण को बताया गया कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-5-85 मे प्राधिकरण कर्मचारियो को यह भत्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण की दर से दिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। उ0प्र0शासन दवारा निर्धारित शर्त सं0 1420/37-2-139 डी0ए0/77 दिनांक 30-4-79 दवारा दिये गये नीति निर्देश व लखनऊ विकास प्राधिकरण दवारा स्वीकार की गई दरो से भी प्राधिकरण को अवगत कराया गया। प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया व इस संबंध मे निम्नानुसार स्वीकृती प्रदान कर दी गई:

1- प्राधिकरण हित मे अधिकारी/कर्मचारी दवारा मोटर साईकल, स्कूटर व कार का प्रयोग प्रत्येक माह कम से कम 400 कि0मी0 की यात्रा/दौरा किया जाता है, यदि कम यात्रा की जाती है तो शासन दवारा निर्धारित नीति के अनुसार कम या उसी अनुपात मे भत्ता देय होगा।

2- वाहन का रजिस्ट्रेशन, लाईसेंस व वाहन स्वामी का प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य है।

3- जिस अधिकारी/कर्मचारी को यह भत्ता देय होगा, वह प्राधिकरण की जीप/कार का उपयोग किसी भी स्थिति मे नही कर पायेंगे। सक्षम अधिकारी के दवारा उपयोग किये जाने के तथ्य पाये जाने पर स्वत: निरस्त माना जायगा जिसके लिये कोई अपील स्वीकार नही होगी।

4- अधिकारी/कर्मचारियो को यह वाहन भत्ता स्वीकार करने का

अधिकार सचिव मे निहित किया जाता है। सचिव समय समय पर उक्त शासनादेश व शर्तों का पालन कराकर वाहन भत्ते के नियम व प्राधिकरण के निर्णय का परिपालन अपने स्तर से करायेगे।

(क) प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को वाहन भत्ता ग्रहण करने के पात्र हो रु0 100/- प्रति माह ।

(ख) प्राधिकरण के एक लिपिक को कचहरी जाने व आने के लिये साईकिल भत्ता 20/- प्रति माह देय है ।

(ग) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो प्राधिकरण के हित मे यात्रा करते हो, को साईकल भत्ता देय है . 20/- रु0 प्रति माह ।

16- प्राधिकरण मे कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियो को संशोधित वेतन दरो का प्रस्ताव :

प्राधिकरण मे कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियो का दिनांक 1-5-86 से संशोधित दैनिक वेतन दरो के दिये जाने का प्रस्ताव बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण को बताया गया कि उपाध्यक्ष प्राधिकरण द्वारा संशोधित दरो की स्वीकृती प्रदान कर दी गई है जिस पर प्राधिकरण का अनुमोदन होना है। प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि निम्न संशोधित दरे स्वीकार की जाती है :-

1- लिपिक	रु0 20/-	प्रति दिन
2- चौकीदार/गार्ड	रु0 15/-	,,
3- माली	रु0 15/-	,,
4- चपरासी	रु0 15/-	,,
5- ट्रेसर	रु0 18/-	,,
6- लेखापाल	रु0 18/-	,,
7- ब्ल्यू प्रिंटर	रु0 15/-	,,
8- जीप ड्राईवर	रु0 20/-	,,
9- सर्वेयर (डिपलोमा)	रु0 20/-	,,
10- सर्वेयर (नान डिपलोमा)	रु0 18/-	,,

17- नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र देहरादून के कार्यालय कोष मे जमा विकास शुल्क का हस्तानान्तरण :

प्राधिकरण को बताया गया कि नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र के कोष मे उनके समय का कुछ विकास शुल्क की धनराशी जो ब्याज सहित रु0 60975-27 पै0 हो गई है, का हस्तान्तरण प्राधिकरण को किये जाने का प्रस्ताव है। यह धनराशी जिला सहकारी बैंक देहरादून मे खाता सं0 11183 मे जमा है। प्रस्ताव

पर विचार विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि उक्त धनराशी को प्राधिकरण कोष मे हस्तान्तरित कर दिया जाय। उपाध्यक्ष प्राधिकरण को इसके लिये अधिकृत किया जाता है ।

॥ अशोक खुराना ॥	॥ देवी दयाल ॥
उपाध्यक्ष	अध्यक्ष,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण	मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून ।	देहरादून ।

पुष्ट किया गया

24.9.86